सैंपलिंग एजेंसी चयन हेतु निविदा
मसालों और मसाला उत्पादों की खेप के प्री-शिपमेंट सैंपलिंग और
कंटेनर स्टफिंग का पर्यवेक्षण

निविदा संख्या ADM-MISC/0008/2023 दिनांक 13 मार्च 2025

**स्पाइसेस बोर्ड**
**(वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)**
**सुगंधा भवन, एनएच बाय पास,**
**पलारीवट्टम. पोस्ट ऑफिस, कोचीन - 682 025**
**केरल, भारत**

**1. परिचय:**

स्पाइसेस बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (भारत सरकार) के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, जिसका गठन स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम 1986 के तहत किया गया है और बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य कर रहा है। बोर्ड भारत से मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 52 अनुसूचित मसालों के निर्यात संवर्धन और इलायची (छोटी एवं बड़ी) के विकास के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड द्वारा भारत से निर्यात किए जाने वाले मसालों और मसाला उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा का मूल्यांकन करने, और मसाला क्षेत्र के हितधारकों, जैसे निर्यातकों, व्यापारियों, किसानों, अनुसंधान संगठनों आदि को विश्लेषणात्मक सेवा प्रदान करने हेतु, देश के प्रमुख बंदरगाह शहरों में गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं भारत से मसालों के पंजीकृत निर्यातकों द्वारा विभिन्न देशों को निर्यात किए जाने वाले खड़े और पिसे हुए रूप में (तेल और ओलियोरेसिन को छोड़कर) मसालों और मसाला उत्पादों जैसे मिर्च, जीरा, हल्दी, काली मिर्च, मेथी, अदरक, जायफल और जावित्री, करी पत्ता, बड़ी और छोटी इलायची और इन मसालों से युक्त मिश्रित खाद्य पदार्थों का अनिवार्य परीक्षण करती हैं।

**2. निविदा :**

उन प्रतिष्ठित सैम्पलिंग एजेंसियों से निविदा आमंत्रित है, जो ISO 9001:2015 प्रमाण पत्र धारक हैं, तथा अधिमानतः ISO/IEC 17025:2017 द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, एवं जिनकी अपनी स्वयं की खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं भी हैं। एजेंसी को इस कस्टम बिड नोटिस में दी गई सैंपलिंग प्रक्रिया और नियमों व शर्तों के अनुसार **क्षेत्र क** (केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी और कर्नाटक), **ख** (महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्व बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़) **और सी** (गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल

प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर) में मसालों की निर्यात खेपों की प्री-शिपमेंट सैंपलिंग और कंटेनर स्टफिंग पर्यवेक्षण का कार्य करना है।

**3. निविदा का दायरा:**

**3.1. सैंपलिंग और स्टफिंग गतिविधि**

**3.1.1** निर्यातक सैंपलिंग/स्टफिंग की सूचना, निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के विवरण के साथ, स्पाइसेस बोर्ड की ऑनलाइन निर्यात सहायता प्रणाली (ESS) (https://www.indianspices.org.in/ESS/) के माध्यम से, शिपमेंट के बंदरगाह से बोर्ड के निकटतम कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। कार्यालय का नमूना प्राप्ति डेस्क (SRD) निर्यातकों से प्राप्त सूचनाओं पर कार्रवाई करेगा और ESS के माध्यम से इस निविदा के माध्यम से चयनित क्षेत्र में संबंधित सैम्पलिंग एजेंसी/एजेंसियों को कार्य आवंटित करेगा। प्रत्येक सूचना में अनेक आइटम हो सकते हैं।

**3.1.2** वर्तमान में स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम की अनुसूची के अनुसार मिर्च और उससे संबंधित उत्पाद, करी पाउडर, मसाला, करी पेस्ट आदि, हल्दी, हल्दी पाउडर, जायफल और जायफल उत्पाद, जावित्री, अदरक, करी पत्ता, छोटी और बड़ी इलायची, काली मिर्च, मेथी, जीरा और अन्य मसाले और मसाला उत्पाद। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, स्पाइसेस बोर्ड विभिन्न रासायनिक मापदंडों जैसे कि एफ्लाटॉक्सिन, सूडान I-IV रंग, कीटनाशक अवशेष, एथिलीन ऑक्साइड और भौतिक मापदंडों जैसे कि अन्य बीज / बाहरी पदार्थ आदि की मौजूदगी की अनिवार्य जांच करता है। माइक्रोबायोलॉजी स्ट्रीम में, अमेरिका को निर्यात की जाने वाली मिर्च और मिर्च उत्पादों, साबुत/पिसा हुआ जीरा और करी पेस्ट सहित मसालों के सभी मिश्रित रूपों की खेप में साल्मोनेला के लिए अनिवार्य सैम्पलिंग और टेस्टिंग शामिल है। आयातक देशों की आवश्यकता के आधार पर अनिवार्य आवश्यकता समय-समय पर बदल सकती है।

**3.1.3** निर्यातकों से ऑनलाइन सूचना प्राप्त होने पर, बोर्ड ESS के माध्यम से सैंपलिंग/स्टफिंग का कार्य इस निविदा के माध्यम से सैंपलिंग/स्टफिंग का कार्य करने हेतु चयनित प्राधिकृत एजेंसियों को सौंपेगा। एक सूचना में अलग-अलग लॉट संख्या वाले कई आइटम हो सकते हैं।

**3.1.4** सैंपलिंग का कार्य सर्वेक्षणकर्ता/सर्वेक्षकों द्वारा निम्नलिखित विधियों के अनुसार किया जाना चाहिए:

क) खाद्य पदार्थों में माइकोटॉक्सिन के स्तर के आधिकारिक नियंत्रण के लिए यूरोपीय यूनियन सैंपलिंग रेगुलेशन EC No.401/2006 23 फरवरी 2006 और कीटनाशक अवशेषों के लिए आयोग के निर्देश 2002/63/EC, यूरोपीय यूनियन और यू.के. को भेजी जाने वाली खेपों के लिए।

ख) USFDA BAM चैप्टर 1 यूएसए को भेजी जाने वाली खेप में साल्मोनेला के

विश्लेषण के लिए

ग) ISO 948:1980 अन्य सभी देशों को भेजी जाने वाली खेपों के लिए।

**3.1.5** ऑनलाइन सूचना के आधार पर, सौंपे गए कार्य को स्वीकार करना होगा और सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा निर्दिष्ट स्थान, तिथि और समय पर, इस बोली में बिंदु 3.1.4 में निर्दिष्ट सैंपलिंग मानदंडों के अनुसार, जिसका स्पाइसेस बोर्ड द्वारा पालन किया जाता है, भौतिक रूप से नमूने लेकर कार्य पूरा करना होगा। सैंपलिंग या कंटेनर स्टफिंग के लिए निर्धारित कार्य शुरू करने से पहले, अधिकृत सर्वेक्षक को किसी भी अनुत्पादक दौरे से बचने के लिए सैंपलिंग/स्टफिंग के स्थान और समय की निर्यातकों से पुष्टि करनी होगी। एजेंसी अनुत्पादक दौरों के लिए दावा नहीं कर सकती।

**3.1.6** सैंपलिंग एजेंसी को सर्वेक्षणकर्ताओं को सैंपलिंग के लिए आवश्यक उपकरण जैसे स्कूप, छोटा तराजू, चाकू, पॉलीथीन शीट, पेपर टैग/स्वयं चिपकने वाला लेबल, स्टेराइल कंटेनर/बैग, धागा, टेप, एंटी-टैम्पर सील, स्मार्ट फोन आदि और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे दस्ताने, सुरक्षा जूते, चश्मा, मास्क, हेड कवर आदि उपलब्ध कराने होंगे। सभी सैंपलिंग कर्मियों के लिए ड्यूटी पर रहते समय अपनी संबंधित सैंपलिंग एजेंसियों द्वारा जारी किया गया आईडी कार्ड पहने रखना अनिवार्य है।

**3.1.7** नमूना लेने से पहले, सर्वेक्षक को लेबल में खेप के विवरण, जैसे उत्पाद का नाम, लॉट संख्या, बैच संख्या, पैकेजों की संख्या, शुद्ध मात्रा आदि की, सूचना के आधार पर जांच करनी और पुष्टि करनी होती है। यदि उक्त विवरण में कोई परिवर्तन पाया जाता है, तो मामले की सूचना तुरंत संबंधित SRD/क्षेत्रीय कार्यालय को दी जाएगी तथा नमूने लेने के लिए संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

**3.1.8** नमूने एकत्र करने के लिए प्लास्टिक के स्थान पर जैव-अपघटनीय पैकिंग सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। नमूने को ज्यों का त्यों रखने और सड़नरहित तरीके से भेजने के लिए पर्याप्त सावधानी बरता जाना चाहिए। नमूना लेने के तुरंत बाद सैंपलिंग रिपोर्ट के साथ एजेंसी के सीलबंद मुद्रित लिफाफे में स्पाइसेस बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट नामित नमूना प्राप्ति डेस्क (SRD) / गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला को सौंप दिया जाना चाहिए। सौंपे जाने वाले नमूनों का विवरण उसी दिन या नमूना लेने के अगले कार्य दिवस को प्रातः 10 बजे तक दिखाई देने लग सकता है।

**3.1.9** साल्मोनेला विश्लेषण के लिए नमूनों को रोगाणुरहित नमूना बैग में पैक किया जाएगा तथा सर्वेक्षक के मुद्रित कवर में डालने से पहले सील कर दिया जाएगा। ETO टेस्ट हेतु लिए जाने वाले नमूनों को पार संदूषण से बचाने के लिए बोर्ड द्वारा सुझाए गए एल्युमिनियम फॉयल कवर या किसी अन्य पैकिंग सामग्री का उपयोग किया जाएगा। नमूनों का प्रत्येक सेट (उत्पादवार) फ़ूड ग्रेड पॉलिथीन कवर में पैक किया जाना चाहिए। सभी ETO नमूनों को एक अलग बैग में ले जाया जाना चाहिए।

**3.1.10** नमूना लेने के बाद, सर्वेक्षक को निर्यात खेप से लिए गए नमूने को धागे/टेप और टैग का उपयोग करके एक साथ रखना और सील करना होता है। सैम्पलिंग के लिए खोले गए बैगों पर 'सैम्पल्ड बैग्स' का लेबल लगाया जाएगा। लॉट की स्टैक सीलिंग को दर्शाने वाली तस्वीर उपयुक्त प्लेटफॉर्म का उपयोग करके नामित नमूना प्राप्ति डेस्क (SRD) / संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एजेंसी को सुनिश्चित करना होगा कि निर्यात खेप की स्टफिंग करते समय स्टैक और सील ज्यों का त्यों रहें।

**3.1.11** बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट चयनित देशों को साबुत मिर्च के निर्यात के मामले में, स्पाइसेस बोर्ड प्राधिकारियों द्वारा नमूना लिए जाने का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नमूना सीमा पार क्षेत्रों में खेप ले जाने वाले ट्रकों/कंटेनरों से लिया जाएगा और विवरण को ESS में अपडेट किया जाएगा। कुछ मामलों में, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जारी "नमूना लिए जाने का प्रमाण पत्र" वाले खेप से भी कंटेनर / रेलवे वैगन / ट्रकों में लोड करते समय, जैसा भी मामला हो, नमूने लिए जा सकते हैं। इस मामले में अलग कंटेनर स्टफिंग पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि नमूना खेप को कंटेनर/ट्रकों में लोड करते समय लिया जाता है। इसी प्रकार, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान और चीन, सिंगापुर और हांगकांग को छोड़कर सभी देशों को साबूत जीरे की खेप के मामले में नमूना लिए जाने का प्रमाण पत्र प्रदान करके कंटेनर स्टफिंग करने की अनुमति है।

**3.1.12** विभिन्न क्षेत्रों से दो वर्षों में लिए गए नमूनों की अनुमानित संख्या इस तालिका में दी गई है: **1.**

**तालिका 1:**

**क्षेत्र क**

| क्रम सं. | स्थान | नमूनों की संख्या | स्टफिंग की संख्या | SDC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | केरल | 60,000 | 12000 | 50 |
| 2 | तमिलनाडु और पांडिचेरी | 52,000 | 14000 | 18,000 |
| 3 | कर्नाटक | 3,990 | 1000 | 10 |

**क्षेत्र ख**

| क्रम सं. | स्थान | नमूनों की संख्या | स्टफिंग की संख्या | SDC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा | 60,000 | 12,000 | 50 |
| 2 | आंध्र प्रदेश और तेलंगाना | 24,000 | 4,800 | 50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्व बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, | 12,000 | 2,400 | 2,000 |

**क्षेत्र सी**

| क्रम सं. | स्थान | नमूनों की संख्या | स्टफिंग की संख्या | SDC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | गुजरात | 35,000 | 7,000 | 1000 |
| 2 | राजस्थान | 2,000 | 400 | 0 |
| 3 | दिल्ली | 6,000 | 1200 | 0 |
| 4 | हरियाणा | 400 | 80 | 0 |
| 5 | उत्तराखंड | 300 | 60 | 0 |
| 6 | हिमाचल प्रदेश | 300 | 60 | 0 |
| 7 | पंजाब | 400 | 80 | 0 |
| 8 | उत्तर प्रदेश | 400 | 80 | 0 |
| 9 | जम्मू और कश्मीर | प्रत्याशित | प्रत्याशित | 0 |

***टिप्पणी :*** *ऊपर दर्शाए गए नमूनों की संख्या भिन्न हो सकती है। दर्शाए गए नमूनों की अनुमानित संख्या केवल मार्गदर्शन के उद्देश्य से घोषित की जा रही है। बोलीदाताओं द्वारा कोट की जाने वाली कीमत पर इसका कोई प्रभाव या प्रासंगिकता नहीं है तथा बोली में भागीदारी पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा, इसे कोट की गई कीमतों का औचित्य निर्धारित करने के मानदंड के तौर पर भी उपयोग नहीं किया जाएगा, उसका निर्धारण खरीदार द्वारा अपने स्वयं के औचित्य आकलन और बोली प्रक्रिया में प्राप्त प्रतिस्पर्धी कीमतों के आधार पर किया जाएगा।*

**3.1.13** सैंपलिंग और कंटेनर स्टफिंग का विवरण ESS में तत्काल अपडेट करना एजेंसी की जिम्मेदारी है।

**3.1.14** नमूना प्राप्ति डेस्क प्रयोगशाला से विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर, विश्लेषण की अंतरिम रिपोर्ट (मंजूरी प्राप्त हुई या नहीं) ESS में अपलोड कर देगा। स्वीकृत विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर निर्यातक ESS के माध्यम से कंटेनर स्टफिंग के लिए सूचना प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे। तदनुसार, बोर्ड ऑनलाइन माध्यम से एजेंसी को स्टफिंग की सूचना प्रदान करेगा, जिसे नामित एजेंसी द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

**3.1.15** सर्वेक्षक कंटेनर स्टफिंग की निर्धारित तिथि और समय पर उस परिसर का दौरा करेगा जहां से नमूना लिया गया था। वे नमूना लेने के समय लॉट पर लगाई गई स्टैक सील

हटा देंगे, जिससे माल को कंटेनर या ट्रक में लोड किया जा सकेगा। यदि नमूना लिए गए लॉट में कोई छेड़छाड़ पाई जाती है, तो स्टफिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी, तथा संबंधित SRD को तत्काल सूचित किया जाना चाहिए।

लोडिंग से पहले, सर्वेक्षक को सुनिश्चित करना होगा कि कंटेनर में केवल निर्यातक को जारी की गई विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर शिपमेंट के लिए अधिकृत उत्पाद ही लोड किए जाएं। सर्वेक्षक को कस्टम सील संख्या और कंटेनर संख्या को अपडेट करना होगा। जिन मामलों में माल खुले ट्रक पर लोड होता है, ट्रक नंबर दर्ज किया जाएगा।

LCL शिपमेंट के मामले में, सर्वेक्षक कंटेनर और सील नंबर का विवरण बाद में एकत्र करेगा और तदनुसार ESS को अपडेट करेगा।

**3.1.16** एजेंसी नमूने को **तालिका 2** में उल्लिखित के अनुसार संबंधित SRD को सौंप देगी। कुछ मामलों में, बोर्ड एजेंसी द्वारा लिए गए नमूनों को कूरियर एजेंसियों के माध्यम से बोर्ड की निकटतम नामित प्रयोगशाला में भेजने की व्यवस्था करेगा, बशर्ते कि सैम्पलिंग एजेंसी की निकटतम प्रयोगशाला/SRD या निकटतम कार्यालय/डिपो प्रयोगशाला से 500 किमी से अधिक दूर हो। जिन स्थानों पर बोर्ड की कोई नामित कूरियर एजेंसियां नहीं हैं, वहां संबंधित सैम्पलिंग एजेंसी, प्रतिष्ठित कूरियर फर्मों के साथ बोर्ड की निकटतम प्रयोगशाला में नमूने भेजने की व्यवस्था करेगी। कूरियर के माध्यम से नमूने भेजने पर होने वाले व्यय की बोर्ड द्वारा सैंपलिंग एजेंसी को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

**3.1.17** संभावित सैंपलिंग स्थानों और उनके निर्दिष्ट SRD का विवरण **तालिका 2** में दिया गया है।

**तालिका 2 :**

**क्षेत्र** क

| स्थान | निर्दिष्ट SRD | नमूने सौंपने की समयसीमा |
|---|---|---|
| कोचीन बंदरगाह, वल्लारपदम CFS, कोलेनचेरी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोठामंगलम, अलुवा, अंगमाली, त्रिशूर, थोडुपुजा, कोट्टायम, अल्लेप्पी (<100 किमी) | कोचीन | उसी दिन |
| पलक्कड़, कोयंबटूर, इडुक्की (>100KM) | कोचीन | अगले कार्य दिवस पर प्रातः 10 बजे |

| | | |
|---|---|---|
| कोयंबटूर (>100किमी) | कोचीन | -उपरोक्त- |
| <100किमी | चेन्नई, तूतीकोरिन, बैंगलोर | उसी दिन |
| >100किमी | चेन्नई, तूतीकोरिन, बैंगलोर | अगले कार्य दिवस पर प्रातः 10 बजे |

**क्षेत्र** ख

| **स्थान** | **निर्दिष्ट SRD** | **नमूने सौंपने की समयसीमा** |
|---|---|---|
| मुंबई, ठाणे, भिवंडी, अंबरनाथ, विक्रोली, नवी मुंबई, वाशी, MIDC-महापे, विक्रोली, पनवेल, उरण, नवा-शेवा, CFS | मुंबई | उसी दिन |
| पुणे, सांगली/सतारा, नागपुर, जलगांव, नासिक। | -उपरोक्त- | उसी दिन या अगले दिन सुबह 10 बजे से पहले |
| मध्य प्रदेश (भोपाल, इंदौर), और गोवा (पणजी) | -उपरोक्त- | उसी दिन या अगले दिन सुबह 10 बजे से पहले |
| आंध्र प्रदेश | गुंटूर | उसी दिन |
| तेलंगाना | गुंटूर/ मुंबई | उसी दिन या अगले दिन सुबह 10 बजे से पहले |
| **पश्चिम बंगाल** | | |
| कोलकाता बंदरगाह | कोलकाता | उसी दिन |
| गोजाडांगा, हिली, पेट्रोपोल, चंगराबांधा, महदीपुर, नक्सलबाड़ी (पानीटंकी) | -उपरोक्त- | अगले दिन सुबह 10 बजे से पहले |
| अन्य स्थान (100 किमी से कम) | सभी स्थान | उसी दिन |
| अन्य स्थान (100 किमी से अधिक) | सभी स्थान | अगले दिन सुबह 10 बजे से पहले |

**क्षेत्र** सी

| **स्थान** | **निर्दिष्ट SRD** | **नमूने सौंपने की समयसीमा** |
|---|---|---|
| कांडला, गांधीधाम, मुंद्रा, भुज, मांडवी | QEL, कांडला | उसी दिन |

| | | |
|---|---|---|
| उंझा, महेसाणा, दीसा, पालनपुर, विसनगर, वडनगर, पाटन, कड़ी, सिद्धपुर | SRD, उंझा | उसी दिन |
| अहमदाबाद, कड़ी, छत्राल, गांधीनगर, वटवा, नडियाद, नरोदा, नारोल | SRD, अहमदाबाद | उसी दिन |
| अन्य गुजरात | QEL, कांडला | अगले दिन |
| जोधपुर, नागोर, पाली, बालोतरा | SRD, स्पाइस पार्क, जोधपुर | उसी दिन |
| अन्य राजस्थान | QEL, कांडला | अगले दिन |
| सोनीपत, दिल्ली, पानीपत, नोएडा, गुरुग्राम, फ़रीदाबाद | SRD नरेला | उसी दिन |
| अन्य दिल्ली | | अगले दिन |
| हरियाणा | | |
| उत्तराखंड | | |
| हिमाचल प्रदेश | | |
| पंजाब | | |
| उत्तर प्रदेश | | |
| जम्मू और कश्मीर | | |

**3.1.18** एक लॉट किसी विशेष बिल की प्रति गंतव्य प्रति निर्यातक एक ही मसाला उत्पाद की 25 टन या उससे कम मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक ही खेप में एक ही उत्पाद के प्रत्येक अतिरिक्त 25 मीट्रिक टन को एक अतिरिक्त लॉट माना जाएगा। साबूत जीरे के मामले में 29.5 टन को एक लॉट तथा बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और भूटान को ट्रक द्वारा भेजी गई खेप के लिए 30 टन को एक लॉट माना जाएगा। ट्रक द्वारा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भेजी जाने वाली साबूत मिर्च के मामले में, 30 टन को एकल लॉट माना जाता है। एक ही खेप में शामिल विभिन्न मसाला वस्तुओं को अलग-अलग लॉट माना जाएगा। प्रत्येक लॉट की पहचान एक विशिष्ट लॉट संख्या से की जाएगी, जो निर्यातकों द्वारा उनके सैंपलिंग सूचना में प्रदान की जाएगी।

**3.1.19** प्रत्येक लॉट से नमूनों के चार सेट निकाले जाने हैं, जिनमें से तीन सेट स्पाइसेस बोर्ड के संबंधित SRD में वितरित किए जाने हैं तथा एक सेट संबंधित निर्यातक को सौंप दिया जाना है। यदि मिश्रित मसालों से मिश्रित नमूने लिए गए हैं, तो उन्हें एक ही नमूना माना जाएगा। निकाले जाने वाले नमूनों का विवरण **तालिका 3** में दिया गया है:

**तालिका: 3**

| देश / मसाला | LS1 | AS1 | AS2 | ES |
|---|---|---|---|---|
| यूरोपीय यूनियन, साबुत और पिसे हुए मसालों के लिए | 500g | 500g | 500g | 500g |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| यूनाइटेड किंगडम, साबुत मिर्च और मिर्च पाउडर के लिए | 250g | 500g | 500g | 500g |
| यूरोपीय यूनियन, सभी मसाले और यूनाइटेड किंगडम मिर्च (ETO) | 100g | 100g | 100g | 100g |
| संयुक्त राज्य अमेरिका, साबुत और पिसे हुए मसालों के लिए | 500g | 500g | 500g | 500g |
| अन्य देश, साबुत और पिसे हुए मसाले | 350g | 350g | 350g | 350g |
| SDC के लिए नमूने | 250g | लागू नहीं | लागू नहीं | 250g |

LS-लैब नमूना; AS-अपील नमूना; ES-निर्यातक नमूना; NA-लागू नहीं

**3.1.20** सैंपलिंग प्रक्रिया में, नमूनों की पैकिंग और सीलिंग अनिवार्य रूप से निर्यातक के प्रतिनिधि के सामने होना चाहिए तथा सैंपलिंग टैग पर मुहर सहित उसका हस्ताक्षर लिया जाना चाहिए।

**3.2 सैम्पलिंग एजेंसी को भुगतान की शर्तें**

**3.2.1** सैंपलिंग एजेंसियों को सैंपलिंग शुल्क का भुगतान सूचना में उल्लिखित लॉट के आधार पर किया जाएगा। हालाँकि, यूरोपीय यूनियन/युनाइटेड किंगडम को भेजे जाने वाली खेप के मामले में, जहां ETO सैंपलिंग शामिल है, दर अलग से कोट की जा सकती है।

**3.2.2** स्टफिंग पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान प्रति कंटेनर की दर से किया जाएगा। यदि विभिन्न लॉटों के नमूने एक ही कंटेनर में लोड किए जाते हैं, तो केवल एक स्टफिंग पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, यदि एक से अधिक निर्यातकों की खेप एक ही कंटेनर (LCL) में आती है, तो केवल एक ही स्टफिंग पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

**3.2.3** एजेंसी को सैंपलिंग/स्टफिंग के संबंध में मासिक समेकित विवरण स्पाइसेस बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए उचित प्रारूप में सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना होगा और स्पाइसेस बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से पुष्टि प्राप्त हो जाने पर बिलों को हर महीने सत्यापन के लिए अगले महीने की 15 तारीख को या उससे पहले स्पाइसेस बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

**3.2.4** एजेंसी को सुनिश्चित करना चाहिए कि सैंपलिंग, स्टफिंग और परिवहन शुल्क के लिए तैयार GST चालान, स्पाइसेस बोर्ड कार्यालय द्वारा पुष्टि किए गए समेकित विवरण के आधार पर वास्तविक आंकड़ों के अनुसार हो। चालान निम्नलिखित तरीके से तैयार किए जाएंगे:

(a) सैंपलिंग/स्टफिंग दरें एवं लागू GST।

(b) परिवहन शुल्क एवं लागू GST।

(c) कूरियर शुल्क एवं GST (जहां लागू हो)।

भुगतान करते समय, बोर्ड लागू TDS काट लेगा।

**3.2.5** एजेंसी को GST बिल के साथ ही, प्रत्येक माह में किए गए सैंपलिंग और स्टफिंग कार्य का विवरण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

**4. पात्रता मानदंड**

**(a) तालिका : 4**

| क्रम सं. | पात्रता मानदंड | प्रस्तुत किए जाने वाले सहायक दस्तावेजों का विवरण |
|---|---|---|
| 1 | भाग लेने वाली फर्म को कस्टम बोली लगाने के समय पिछले तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों से परिचालन में होना चाहिए।<br>कम से कम तीन ग्राहकों के साथ, जिसमें एक सरकारी संगठन भी शामिल हो, कृषि वस्तुओं के सैंपलिंग कार्य में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। | पिछले तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों (2023-24; 2022-23; 2021-22) के दौरान फर्म को कार्य आदेश जारी किए गए होने चाहिए |
| 2 | भाग लेने वाली फर्म भारत में पंजीकृत एक प्रोप्राइटरशिप फर्म, साझेदारी फर्म या प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। फर्म के पास अपना PAN पैन एवं GST नंबर होना चाहिए। | साझेदारी विलेख और/या समझौता ज्ञापन और एसोसिएशन का अनुच्छेद। |
| 3 | औसत वार्षिक कारोबार: एजेंसी का औसत वार्षिक कारोबार 5.00 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए। | पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22; 2022-23, और 2023-24) का ऑडिटेड बैलेंस शीट लाभ और हानि खाता (CA द्वारा प्रमाणित) प्रस्तुत किया जाना है। |
| 4 | भाग लेने वाली फर्म के पास ISO 9001:2015 प्रमाणपत्र होना चाहिए।<br><br>ISO/IEC 17025:2017 प्रमाणपत्र अतिरिक्त योग्यता होगी और उसे महत्व दिया जाएगा | प्रमाण पत्रों की प्रतियां। |
| 5 | भाग लेने वाली फर्म जिस क्षेत्र के लिए कोटेशन देना चाहती है उसके पास उस क्षेत्र के स्थानों में कम से कम (क्षेत्र A - 7; क्षेत्र B - 6; क्षेत्र C - 5) परिचालन कार्यालय होने चाहिए और प्रमुख सैंपलिंग और स्टफिंग क्षेत्रों में सर्वेक्षकों के साथ उप कार्यालय उपलब्ध होना चाहिए। | कार्यालयों के स्वामित्व दस्तावेजों/पट्टे/किरायेदारी समझौतों की प्रतियां। |

**(b) कार्यालयों का आवश्यक विवरण तालिका :5**

**क्षेत्र क**

| क्रम सं. | क्षेत्र | आवश्यक कार्यालय/उपकार्यालय |
|---|---|---|
| 1 | केरल | त्रिवेंद्रम, पलक्कड़ और कोच्चि |
| 2 | तमिलनाडु, पांडिचेरी और कर्नाटक | चेन्नई, कांचीपुरम, तूतीकोरिन, इरोड, सेलम, कोयंबटूर, बैंगलोर |

**क्षेत्र ख**

| राज्य | संभावित स्थान जहां नमूना लिया जाएगा | वे स्थान जहाँ कार्यालय होना आवश्यक हैं |
|---|---|---|
| महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा | मुंबई, ठाणे, भिवंडी, अंबरनाथ, विक्रोली, नवी मुंबई, वाशी, MIDC-महापे, पनवेल, उरण, नवा-शेवा, CFS, पुणे, सांगली/सतारा, नागपुर, जलगांव, नासिक, इंदौर/पीथमपुर(मध्य प्रदेश)<br>पणजी (गोवा) | मुंबई/नवी मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, इंदौर/पीथमपुर (मध्य प्रदेश), पणजी (गोवा) |
| आंध्र प्रदेश और तेलंगाना | गुंटूर, हैदराबाद, कृष्णापट्टनम, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम | गुंटूर, हैदराबाद, विशाखापतनम |
| पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्व बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, | कोलकाता बंदरगाह, पटना, गोजाडांगा, हिली, पेट्रोपोल, चांगराबांधा, महदीपुर, नक्सलबाड़ी (पानीटंकी), गुवाहाटी | कोलकाता, गोजाडांगा हिली, पेट्रोपोल, |

**क्षेत्र सी**

| राज्य | संभावित स्थान जहां नमूना लिया जाएगा | वे स्थान जहाँ कार्यालय होना आवश्यक हैं |
|---|---|---|
| गुजरात | उंझा, अहमदाबाद, राजकोट, महुवा, सूरत, कांडला | राजकोट, राजकोट, उंझा, अहमदाबाद |
| राजस्थान | जोधपुर | |
| दिल्ली | दिल्ली | दिल्ली |
| हरियाणा | | |
| उत्तराखंड | | |

| | | |
|---|---|---|
| हिमाचल प्रदेश | | |
| पंजाब | | |
| उत्तर प्रदेश | | |
| जम्मू और कश्मीर | | |

बोर्ड उन बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो सैंपलिंग की निर्दिष्ट पद्धति में फर्म के अनुभव को साबित करने वाले दस्तावेजों से समर्थित नहीं हैं। पात्रता मानदंड को प्रमाणित करने वाले सहायक दस्तावेज ई-कस्टम बोली प्रस्तुत करते समय अपलोड किए जाएंगे।

**5.अन्य आवश्यकताएँ:**

5.1.1 एजेंसी के पास प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम एक पर्यवेक्षी स्तर का कर्मचारी होना चाहिए, जिसके पास न्यूनतम किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक की योग्यता हो। फील्ड स्टाफ की न्यूनतम योग्यता प्लस टू/हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होनी चाहिए।

5.1.2 प्राधिकृत एजेंसी को फील्ड कर्मचारियों को सैंपलिंग/स्टफिंग का कार्य सौंपने से पहले उनका नाम, फोटो, योग्यता के प्रमाण-पत्रों की प्रतियां तथा पहचान पत्र (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र या सरकार द्वारा जारी अन्य पहचान पत्र) सत्यापन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। सैंपलिंग/स्टफिंग पर्यवेक्षण के लिए तैनात फील्ड कर्मचारियों को एजेंसी भी पहचान पत्र जारी करेगी। सैंपलिंग/स्टफिंग के लिए प्राधिकरण प्रमाणपत्र एजेंसी द्वारा बोर्ड के संबंधित कार्यालय से प्राप्त किया जाएगा। सैंपलिंग/स्टफिंग की देखरेख के लिए नियुक्त फील्ड कर्मचारियों को पहचान पत्र और प्राधिकरण पत्र अपने साथ रखना होगा।

5.1.3 सैंपलिंग/स्टफिंग एजेंसियां फील्ड कर्मचारियों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जाना सुनिश्चित करेंगी। सैंपलिंग एजेंसियों द्वारा श्रम नियमों और वैधानिक आवश्यकताओं के किसी भी उल्लंघन के लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए इसका प्रमाण हर माह बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5.1.4 यदि सर्वेक्षणकर्ता सैंपलिंग/स्टफिंग के लिए नए फील्ड कर्मचारियों को नियुक्त करता है, तो एजेंसी द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सुनिश्चित की जानी चाहिए और उन्हें मास्टर ट्रेनर या स्पाइसेस बोर्ड के माध्यम से उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तथापि, फील्ड कर्मचारियों को बार-बार बदलना स्पाइसेस बोर्ड के हित के विरुद्ध है और सर्वेक्षक को यथासंभव इससे बचना चाहिए। इसके अलावा एजेंसी के पास इस गतिविधि के लिए नियुक्त सभी नमूनाकर्ताओं और पर्यवेक्षकों के लिए बीमा कवरेज होना चाहिए। यदि सैंपलिंग/स्टफिंग के लिए फर्म का चुनाव किया जाता है, तो सैम्पलिंग एजेंसी को फील्ड सर्वेक्षकों के लिए लिए गए बीमा कवरेज का प्रकार सैंपलिंग/स्टफिंग शुरू करने के समय प्रस्तुत करना होगा।

   a. एजेंसी को सभी वैधानिक आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी।

b. नमूना लेने वालों और निरीक्षकों के पास सैंपलिंग और स्टफिंग रिपोर्ट को ऑनलाइन/ईमेल और मोबाइल ऐप के माध्यम से अपडेट करने के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से प्रयोगशाला रिपोर्ट और दस्तावेज उपलब्ध कराने का ज्ञान और कौशल होना चाहिए।

5.1.5 एजेंसी के पास निर्दिष्ट क्षेत्रों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में, आईटी उपकरणों और न्यूनतम 250 वर्ग फीट क्षेत्रफल का कार्यालय स्थान सहित, अपनी खुद की/पट्टे पर ली गई आवश्यक बुनियादी संरचना सुविधा होनी चाहिए। सर्वेक्षकों के लिए इंटरनेट के साथ लैपटॉप/कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, स्मार्ट फोन आदि उपलब्ध होने चाहिए।

5.1.6 एजेंसी के पास सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले सैंपलिंग और स्टफिंग की प्रक्रिया को साथ-साथ कैप्चर करने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन सुविधा हो सकती है और इसे सत्यापन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत किया जा सकता है। एजेंसी को उस एप्लिकेशन का एक्सेस निगरानी के उद्देश्य से बोर्ड को उपलब्ध कराना होगा।

5.1.7 कोट की गई दर दो वर्ष की अवधि तक मान्य होनी चाहिए। किसी क्षेत्र के लिए चुनी गई एजेंसी को दो वर्षों तक वैध सुरक्षा जमा के रूप में **तालिका 6** में दर्शाई गई राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

**5.1.8** सर्वेक्षक की अनुपस्थिति में, एजेंसी द्वारा सैंपलिंग तिथि को स्थगित किए बिना वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

**5.2** **निष्पादन गारंटी:** सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान की गई EMD को निष्पादन गारंटी माना जाएगा।

**तालिका: 6**

| क्रम सं. | क्षेत्र | बैंक गारंटी राशि |
|---|---|---|
| 1 | क्षेत्र A, B और C | प्रत्येक क्षेत्र में कुल अनुमानित अनुबंध पर 5% |

**5.3** **प्रत्येक क्षेत्र में *सैंपलिंग* की देखरेख करने वाले बोर्ड के कार्यालयों का विवरण तालिका 7 में दिया गया है।**

**क्षेत्र A**

| क्रम सं. | क्षेत्र | संबंधित कार्यालय/ नमूना प्राप्ति डेस्क (SRD) | संपर्क विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | केरल | SRD कोच्चि | ईमेल : sampling.sb-ker@gov.in<br>टेलीफोन: 0484 2333610 (एक्स्टेन्शन 327/251) |
| 2 | तमिलनाडु, पांडिचेरी और कर्नाटक | क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई | ईमेल : sbrochennai@gmail.com<br>टेलीफोन : 044 27921342 /27923450 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | क्षेत्रीय कार्यालय तूतीकोरिन | ईमेल : sbrotcn2012@gmail.com<br>टेलीफोन : 0461-2391485 |
| | | क्षेत्रीय कार्यालय बैंगलोर | ईमेल : spicesboard.blr@gmail.com<br>टेलीफोन : 080-26767335 |

**क्षेत्र B**

| क्रम सं. | क्षेत्र | संबंधित कार्यालय/ नमूना प्राप्ति डेस्क (SRD) | संपर्क विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा | क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई | ईमेल : sbromumbai@gmail.com<br>टेलीफोन:91-7208497206/ 7208490335 ; |
| 2 | आंध्र प्रदेश और तेलंगाना | क्षेत्रीय कार्यालय गुंटूर | ईमेल : sbzognt@gmail.com<br>टेलीफोन : 0863-2338569 |
| 3 | पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, | क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता | ईमेल : sbrokolkata@gmail.com<br>टेलीफोन : 033-22341834 |

**क्षेत्र B**

| क्रम सं. | क्षेत्र | संबंधित कार्यालय/ नमूना प्राप्ति डेस्क (SRD) | संपर्क विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | गुजरात | क्षेत्रीय कार्यालय ऊंझा | ईमेल : sdaunjha@gmail.com<br>टेलीफोन : 02767 250141/142 |
| | | क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद | ईमेल : spicesahmedabad@gmail.com<br>टेलीफोन : 02717 463981 |
| | | QEL, कांडला | ईमेल : sbkandla2015@gmail.com<br>टेलीफोन : 02836 226621 |
| **2** | राजस्थान | क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर | ईमेल : spicesboardju@gmail.com<br>टेलीफोन: 0291 2636944 |
| **3** | दिल्ली, हरियाणा, | क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली | ईमेल : snewdelhi@gmail.com<br>टेलीफोन: 011 29845040 |

**6. नियम और शर्तें**

**6.1.1** यह अनुबंध कार्यनिष्पादन के आधार पर न्यूनतम 2 वर्षों तक वैध होगा तथा इसे समान नियमों व शर्तों पर बढ़ाया जा सकता है।

**6.1.2** कार्य सौंपने से पहले बोर्ड द्वारा एजेंसी की अवसंरचना, सॉफ्टवेयर सुविधाओं और जनशक्ति का मूल्यांकन किया जाएगा।

**6.1.3** स्पाइसेस बोर्ड अपने विवेक से समय-समय पर आवश्यकता के आधार पर किसी भी स्थान पर एक या एक से अधिक सैंपलिंग एजेंसियों को नियुक्त करने या किसी भी समय बिना किसी सूचना के किसी भी सैम्पलिंग एजेंसी की सेवाएं बंद करने का निर्णय ले सकेगा।

**6.1.4** एजेंसी द्वारा अप्रत्याशित परिस्थितियों के अलावा, नमूना एकत्र न करने या बोर्ड द्वारा निर्धारित सैंपलिंग और स्टफिंग में विलम्ब करने पर, इस नोटिस के बिन्दु 12.0 (दण्ड) में उल्लिखित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

**6.1.5** निर्यात सहायता प्रणाली (ESS), एक ऑनलाइन वेब सक्षम प्रणाली है, जो सैंपलिंग एवं स्टफिंग पर्यवेक्षण तथा SDR/विश्लेषणात्मक रिपोर्ट जारी करने के लिए कार्यान्वित की गई है। किसी भी सिस्टम विफलता के मामले में, ऑफ-लाइन संचालन पर विचार किया जाएगा लेकिन बाद में ऑनलाइन सिस्टम को भी अपडेट किया जाएगा।

**6.1.6** प्रत्येक क्षेत्र के लिए आवश्यक एजेंसियों की संख्या दो है। पर्यवेक्षक एवं नमूनाकर्ताओं की न्यूनतम संख्या की आवश्यकताओं का विवरण **तालिका 8** में दिया गया है

**तालिका : 8 :**

**क्षेत्र A**

| **क्रम सं.** | **क्षेत्र** | **आवश्यक कार्यालय/उपकार्यालय** | **प्रत्येक एजेंसी द्वारा पर्यवेक्षकों की न्यूनतम संख्या** | **एजेंसी से अपेक्षित नमूनाकर्ताओं की न्यूनतम संख्या** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | केरल | त्रिवेंद्रम और कोच्चि | 1 | 8 |
| 2 | तमिलनाडु, पांडिचेरी और कर्नाटक | चेन्नई, कांचीपुरम, | 1 | 8 |
| | | तूतीकोरिन | 1 | 2 |
| | | इरोड, सेलम, कोयंबटूर, | 1 | 2 |
| | | बैंगलोर | 1 | 2 |
| | **कुल योग** | | **6** | **22** |

**(b) क्षेत्र B**

| **क्रम** | **क्षेत्र** | **आवश्यक** | **एजेंसी द्वारा** | **एजेंसी से अपेक्षित** |
|---|---|---|---|---|

| सं. | | कार्यालय/उपकार्यालय | पर्यवेक्षकों की न्यूनतम संख्या | नमूनाकर्ताओं की न्यूनतम संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | महाराष्ट्र | मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, इंदौर, पणजी | 2 | 10 |
| 2 | आंध्र प्रदेश और तेलंगाना | गुंटूर, हैदराबाद, | 1 | 6 |
| 3 | पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, | कोलकाता, गोजाडांगा | 1 | 5 |
| | **कुल योग** | | **4** | **20** |

**क्षेत्र C**

| क्रम सं. | क्षेत्र | आवश्यक कार्यालय/उपकार्यालय | प्रत्येक एजेंसी द्वारा पर्यवेक्षकों की न्यूनतम संख्या | एजेंसी से अपेक्षित नमूनाकर्ताओं की न्यूनतम संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | गुजरात | उंझा | 1 | 6 |
| | | अहमदाबाद | 1 | 2 |
| | | राजकोट | 0 | 1 |
| | | महुवा | 0 | 2 |
| | | सूरत | 0 | 2 |
| | | कांडला | 1 | 0 |
| | | मुंद्रा | | 4 |
| 2 | राजस्थान | जोधपुर | 1 | 5 |
| | | जयपुर | 0 | 2 |
| | | बीकानेर | 0 | 1 |
| 3 | दिल्ली | दिल्ली | 1 | 4 |
| 4 | हरियाणा | | | 1 |
| 5 | उत्तराखंड | | | 1 |
| 6 | हिमाचल प्रदेश | | | 1 |
| 7 | उत्तर प्रदेश | | | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | पंजाब | | | 1 |
| 9 | जम्मू और कश्मीर | | | 1 |
| | **कुल योग** | | **5** | **35** |

**7. बोलियां प्रस्तुत करना:**

7.1.

7.1.1 स्पाइसेस बोर्ड किसी भी बोली/प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7.1.2 कस्टम बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय, स्पाइसेस बोर्ड किसी भी कारण से, चाहे अपनी पहल पर या संभावित बोलीदाताओं द्वारा अनुरोध किये गए स्पष्टीकरण के जवाब में, कस्टम बोली दस्तावेज़ में संशोधन कर सकता है।

7.1.3 कस्टम बोली में किसी भी संशोधन की सूचना बोलीदाताओं को स्पाइसेस बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित करके दी जाएगी तथा यह उन पर बाध्यकारी होगा। स्पाइसेस बोर्ड अपने विवेक से कस्टम बोली जमा करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।

7.1.4 आवेदक को अपनी कस्टम बोलियां प्रस्तुत करने से पहले कस्टम बोली में किसी भी परिवर्तन या संशोधन की जानकारी के लिए स्पाइसेस बोर्ड की वेबसाइट देखना आवश्यक है।

7.1.5 बोली में भाग लेने वाली भारत में पंजीकृत फर्मों को अपनी बोली GeM पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी

7.1.6 बोलीदाता को कुल बोली राशि का 2% बयाना राशि (EMD) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा। MSME के लिए EMD लागू नहीं है। इसकी स्कैन की गई प्रति विक्रेता द्वारा ऑनलाइन बोली में अपलोड की जाएगी तथा बोली खुलने के 5 दिनों के भीतर इसकी हार्ड कॉपी सीधे क्रेता को प्रस्तुत करनी होगी। MSME वेंडर्स के लिए EMD में छूट को 'बोली सुरक्षा घोषणा' द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।

7.1.7 भाग लेने वाली फर्मों को EMD के बदले अनुलग्नक-II में दिए गए प्रारूप में बोली सुरक्षा घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

7.1.8 बोली प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

**8. प्री-बिड मीटिंग**

**8.1**

8.1.1 बोर्ड प्रधान कार्यालय, कोच्चि में एक बोली-पूर्व बैठक का आयोजन करेगा (तारीख के लिए: खंड 10 में दी गई निविदा अनुसूची देखें)।

8.1.2 इस बैठक का उद्देश्य लिखित रूप में बोलियां जमा करने से पहले किसी भी मामले में उठ सकने वाले संदेहों, मुद्दों पर स्पष्टीकरण, और उठ सकने वाले प्रश्नों का उत्तर देना है।

**8.1.3** संभावित वेंडर इस बैठक में अधिकतम दो (2) प्रतिनिधियों के साथ भाग ले सकते हैं।

**9.0 बोली का मूल्यांकन :**

9.1. प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए दो-चरणों वाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पहले तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा, उसके बाद वित्तीय बोली का मूल्यांकन किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त नामित बोली मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी बोली की जांच के दौरान, बोलीदाता को, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अपेक्षित आवश्यक स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, बोर्ड द्वारा दिए गए समय के भीतर प्रस्तुत करना होगा। स्पाइसेस बोर्ड बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किसी भी या सभी दस्तावेजों को तीसरे पक्ष को भेज करके भी सत्यापित करने के लिए स्वतंत्र है। तकनीकी मूल्यांकन के बाद, प्रत्येक क्षेत्र में 70% वेटेज प्राप्त करने वाले बोलीदाताओं के लिए वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी। वित्तीय बोलियों को खोलने की तिथि और समय तकनीकी रूप से पात्र बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा।

**9.2 चरण 1 : तकनीकी बोली मूल्यांकन के लिए पूर्व-पात्रता मानदंड:**

9.2.1 बोलीदाता को अपनी तकनीकी और वित्तीय बोली पर विचार और मूल्यांकन किये जाने की अर्हता प्राप्त करने हेतु, प्रत्येक क्षेत्र में, जैसा कि निविदा में निर्देशित किया गया है, सहायक दस्तावेजों के साथ, पूर्व-पात्रता बोली (बिंदु 4 देखें) के प्रत्येक मानदंड को पूरा करना होगा।

9.2.2 बोलीदाताओं के लिए इस बोली के जारी होने की तिथि से 3 माह के भीतर जारी किया गया बैंक सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

9.2.3 इस दस्तावेज़ में विस्तार से उल्लेख किये गए कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक जिम्मेदारियों को निष्पादित करने में सक्षम योग्य और अनुभवी कर्मचारी होने चाहिए।

9.2.4 खाद्य उत्पादों, कृषि या संबद्ध क्षेत्रों में सैंपलिंग और स्टफिंग करने का और/या खाद्य परीक्षण या परीक्षण प्रयोगशालाओं और/या अनुसंधान एवं विकास संगठन में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए और इस क्षेत्र में कम से कम 03 वर्षों तक कार्यरत होना चाहिए।

9.2.5 उपरोक्त आदेशों के लिए संबंधित क्रेता संगठन द्वारा जारी संतोषजनक निष्पादन प्रमाण पत्र बोली के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।

9.2.6 किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित किया गया नहीं होना चाहिए। आवेदन के साथ इस संबंध में एक वचनबद्धता प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

**9.3 चरण 2 : तकनीकी मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुति**

9.3.1 जो बोलीदाता पूर्व-योग्यता/पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, प्रस्तुतिकरण के लिए उनपर विचार किया जाएगा, तथा उन्हें स्पाइसेस बोर्ड में आकर मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण देना होगा।

9.3.2 बोलीदाताओं को नीचे उल्लिखित मानदंडों के अनुसार आनुपातिक आधार पर तकनीकी अंक दिए जाएंगे।

| तकनीकी योग्यता | अनिवार्य | मानदंड | अधिकतम अंक |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक कारोबार | 5.00 करोड़ | 5.00 करोड़ | 10 |
| | | 5.00 करोड़ से अधिक - 10.00 करोड़ तक | 15 |
| | | 10 करोड़ और उससे अधिक | 20 |
| | | | |
| समान प्रकार के कार्य में परियोजना अनुभव (अनुबंधों की संख्या) | 3 परियोजनाएं | 3-5 परियोजनाएं | 15 |
| | | 5 से अधिक परियोजनाएं | 20 |
| ISO 9001/2015 | | | 5 |
| वैध ISO/IEC 17025:2017 मान्यता प्रमाणपत्रों के साथ खाद्य परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता | | ISO/IEC 17025:2017 | 5 |
| जिस क्षेत्र में वे कोटेशन देना चाहते हैं, उस क्षेत्र में परिचालित कार्यालय की उपलब्धता और प्रमुख सैंपलिंग और स्टफिंग क्षेत्रों में सर्वेक्षकों के साथ उप कार्यालय उपलब्ध होना चाहिए | 5 | 6-7 | 20 |
| | | 7 से अधिक | 20 |
| इस क्षेत्र में जनशक्ति की कुल संख्या | 30 | 40-50 | 5 |
| | | 50 से अधिक - | 10 |
| **प्रस्तुतिकरण** * | अनिवार्य | प्रस्तुतिकरण में बोलीदाता द्वारा अपनाई जाने वाली सैंपलिंग विधि, स्पाइसेस बोर्ड की सेवा के लिए समर्पित मानवशक्ति का विवरण, कंपनी का प्रोफाइल और समान प्रकृति के कार्यों को संभालने का पिछला अनुभव आदि, सहित कार्य मॉडल स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए। | 20 |
| **कुल योग** | | | 100 |

* बोर्ड द्वारा दिए गए कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुतिकरण न देने पर बोली को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

**9.3.3 स्पाइसेस बोर्ड बोली प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, मूल्यांकन प्रक्रिया को परिवर्तित/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, तथा वह बोलीदाताओं को ऐसे किसी भी परिवर्तन की सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है।** मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय, स्पाइसेस बोर्ड किसी भी या सभी बोलीदाताओं से विशिष्ट स्पष्टीकरण की मांग कर सकता है। इस संबंध में मसालों के बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और जिन बोलीदाताओं की बोलियां तकनीकी रूप से अयोग्य ठहरा/अस्वीकार कर दी जाती हैं उनके साथ आगे कोई चर्चा/संवाद आयोजित नहीं किया जाएगा।

### 9.4 तकनीकी बोली का मूल्यांकन

9.4.1. तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन के बारे में इस दस्तावेज़ में ऊपर बताया गया है।

9.4.2. यह देखा जा सकता है कि तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन में उपयोग किए जाने वाले पैरामीटर इस जुड़ाव की आवश्यकताओं के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ पिछले अनुभव, परियोजना दृष्टिकोण और कार्य योजना की प्रकृति और प्रासंगिकता पर आधारित होंगे।

9.4.3. जिन बोलीदाताओं को **तकनीकी स्कोर 70% (प्रत्येक क्षेत्र में) या उससे अधिक** मिलता है, उन्हें तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया जाएगा।

9.4.4. केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की व्यावसायिक बोलियों को ही आगे की प्रक्रिया के लिए खोला जाएगा।

9.4.5. **अनुलग्नक IV** में निर्धारित प्रारूप में वांछित तकनीकी जानकारी

9.4.6. फॉर्म **अनुलग्नक V** के अनुसार मूल्य/वित्तीय बोली

### 9.5 वित्तीय बोली का मूल्यांकन

9.5.1. तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों को खोला जाएगा।

9.5.2. सबसे कम वित्तीय बोली (L1) लगाने वाले बोलीदाता को 100% कार्य दिया जाएगा।

9.5.3. प्रत्येक क्षेत्र में सबसे कम बोली, बोलीदाता द्वारा कोट की गई प्रति नमूना सबसे कम कीमत के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

9.5.4. बोली की कीमत में सभी कर और अधिभार शामिल हैं और केवल भारतीय रुपये में होंगे।

9.5.5. **मात्रा का विभाजन:** कुल आर्डर मात्रा को 50:50 अनुपात में विभाजित किया जाएगा। यदि

L2 बोलीदाता अपनी कीमत L1 की कीमत के अनुरूप करने के लिए सहमत है, तो ऑर्डर की 50% मात्रा L2 पार्टी को प्रदान की जाएगी। यदि L2 अपनी कीमत L1 की कीमत के अनुरूप करने से मना कर देता है, तो L3 बोलीदाता से अपनी कीमत उसके अनुरूप करने के लिए कहा जाएगा और इसी तरह आगे भी और तदनुसार 50% ऑर्डर L3 या अपनी कीमत L1 की कीमत के अनुरूप करने वाले MSE को दिया जाएगा।

यदि L2 और L3 बोलीदाता अपनी कीमत L1 की कीमत के अनुरूप करने के लिए सहमत नहीं हैं, तो कुल ऑर्डर मात्रा L1 बोलीदाता को दी जाएगी।

9.5.6. **त्रुटियां और सुधार:** अंकगणितीय त्रुटियों को निम्नलिखित आधार पर ठीक किया जाएगा: "यदि यूनिट मूल्य और कुल मूल्य के बीच विसंगति है जो यूनिट मूल्य और मात्रा को गुणा करके प्राप्त की जाती है, तो यूनिट मूल्य प्रबल होगा और कुल मूल्य को ठीक किया जाएगा। यदि शब्दों और अंकों में राशि के बीच कोई विसंगति है, तो शब्दों में राशि प्रबल होगी "।

**9.5.7. बोलियों का मूल्यांकन और तुलना:**

न्यूनतम लागत का चुनाव (LCS): बोलीदाता को तकनीकी प्रस्ताव और वित्तीय प्रस्ताव दोनों को एक ही साथ प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी प्रस्ताव की गुणवत्ता के लिए न्यूनतम अर्हता अंक अधिकतम 100 (सौ) में से 75 (पचहत्तर) निर्धारित किए गए हैं। विभिन्न तकनीकी मानदंडों/विशेषताओं के लिए अंकों के आवंटन का विवरण कृपया इस दस्तावेज़ के **बिंदु संख्या 9.3.2** में देखा जा सकता है। जो भी बोलीदाता इन मानदंडों को पार कर लेता है, उसे वित्तीय बोलियां खोले जाने के लिए तकनीकी रूप से योग्य घोषित कर दिया जाता है। तकनीकी प्रस्तावों को पहले खोला जाता है और उनका मूल्यांकन किया जाता है तथा जो प्रस्ताव इन तकनीकी मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार योग्य पाए जाते हैं, उन्हें ही तकनीकी रूप से उत्तरदायी माना जाएगा तथा शेष प्रस्तावों को तकनीकी रूप से अनुत्तरदायी माना जाएगा और उन्हें सूची से हटा दिया जाएगा।

**9.5.8. अंतिम मूल्यांकन मानदंड:** केवल पात्र एवं प्रत्युत्तर देने वाले बोलीदाताओं के वित्तीय प्रस्तावों को ही खोला और उनपर विचार किया जाएगा (प्रत्युत्तर न देने वाले बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां बिना खोले ही वापस कर दी जाएंगी)। प्रत्युत्तर देने वाले प्रस्तावों में से L-1 प्रस्ताव का चुनाव केवल मूल्य मानदंड के आधार पर किया जाता है, तकनीकी प्रस्ताव के अंकों/रैंकिंग को कोई अतिरिक्त महत्व नहीं दिया जाता है।

**10.महत्वपूर्ण तिथियाँ**

| | |
|---|---|
| प्री-बिड मीटिंग* | 17/03/2025 10:00 बजे |
| बोली शुरू होने की तारीख और समय | 18/03/2025 10:00 बजे |
| बोली बंद होने की तिथि और समय | 08/04/2025 10:00 बजे |
| बोली खोलने की तिथि एवं समय | 08/04/2025 10:30 बजे |
| प्रस्तुति की तिथि और समय | ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा |

** प्री-बिड मीटिंग स्पाइसेस बोर्ड, मुख्यालय कोच्चि में हाइब्रिड मोड में आयोजित की जाएगी।*

**11. सरकार की क्रय वरीयता नीतियाँ**

जैसा कि कस्टम बोली दस्तावेज में विस्तृत रूप से बताया गया है, प्राधिकरण विभिन्न सरकारी नीतियों/निर्देशों (मेक इन इंडिया; MSME; स्टार्ट-अप आदि से संबंधित नीतियां) के तहत पात्र बोलीदाताओं को वरीयता देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

**12. दंड:**

**अनुबंध निगरानी समिति - (CMC)** : चयन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, बोर्ड कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए उपयोगकर्ता के प्रतिनिधि सहित उचित स्तर के कम से कम तीन सदस्यों वाली एक CMC का गठन करेगा। बोर्ड CMC में सरकारी/निजी क्षेत्र/शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों से व्यक्तिगत विशेषज्ञों या व्यक्तिगत परामर्शदाता/सेवा प्रदाताओं को भी शामिल कर सकता है। CMC असाइनमेंट की प्रगति की निगरानी करने, यह निरीक्षण करने कि असाइनमेंट अनुबंध के अनुसार पूरा किया जा रहा है, डिलिवरेबल्स की गुणवत्ता का आकलन करने, असाइनमेंट के किसी भी हिस्से को स्वीकार/अस्वीकार करने, यदि असाइनमेंट अनुबंध के अनुसार नहीं पूरा किया गया है और यदि सेवाओं की गुणवत्ता घटिया पाई जाती है और असाइनमेंट पूरा करने से संबंधित ऐसे किसी भी कमी के लिए उचित क्षतिपूर्ति या जुर्माना लगाने के लिए जिम्मेदार होगा।

असाइनमेंट की प्रगति की निगरानी में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हैं:

i) आगे बढ़ने के लिए नोटिस जारी करना;
ii) प्रारंभिक चरण की समीक्षा करना;
iii) कार्य के दायरे में संभावित संशोधनों के बारे में निर्णय लेना और अनुबंध में परिवर्तन जारी करना;
iv) असाइनमेंट की प्रगति की निगरानी करना,
v) बिलिंग, भुगतान और व्यय बनाम प्रगति की निगरानी करना;

**12. दंड**

नमूना लेने की समय-सारणी का पालन करने में चूक (नमूना लेने में देरी) की स्थिति में, बोर्ड

प्रत्येक ऐसे अवसर पर प्रतिदिन कुल कस्टम बोली लागत के 0.5% के बराबर राशि का जुर्माना लगाएगा, जो अधिकतम 10% तक होगा। बोर्ड किसी भी मामले में देरी के कारण होने वाली हानि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

**13 असंतोषजनक प्रदर्शन:** खराब प्रदर्शन में सैम्पलिंग एजेंसी टीम के एक या एक से अधिक कर्मचारी, या पूरी टीम का प्रदर्शन या भागीदारी न होना शामिल हो सकता है। बोर्ड एजेंसी को स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपाय करने की सलाह देगा। खराब प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा; इसलिए, एजेंसी को टीम के प्रदर्शन को सुधारने या पर्याप्त प्रदर्शन नहीं करने वाले किसी स्टाफ सदस्य को बदलने के उचित अनुरोध का पालन करने के लिए शीघ्रता से कार्रवाई करनी चाहिए। यदि एजेंसी पर्याप्त सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल रहती है, तो बोर्ड सैम्पलिंग एजेंसी के शीर्ष प्रबंधन के साथ इस मुद्दे को उठा सकता है और स्थिति को सुधारने के लिए नोटिस जारी कर सकता है और अंततः अनुबंध को समाप्त करने पर विचार कर सकता है।

**14 विलंब:** सैम्पलिंग या स्टफिंग सेवाओं में विभिन्न कारणों से देरी हो सकती है। एजेंसी को ऐसे विलंब के बारे में बोर्ड को सूचित करना चाहिए तथा उसका  कारण बताना चाहिए।

**15. मध्यस्थता**

परिणामी अनुबंध से संबंधित या उससे उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जाएगा। यदि विवाद का समाधान पक्षों द्वारा स्वयं करना संभव नहीं है, तो मामला सचिव स्पाइसेस बोर्ड द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा तथा अनुबंध के दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

**16. शासी कानून एवं क्षेत्राधिकार**

16.1. यह अनुबंध, इसका अर्थ और व्याख्या, तथा पक्षकारों के बीच संबंध, भारत में वर्तमान में लागू कानूनों द्वारा शासित होंगे।

16.2. अनुबंध के अंतर्गत वितरण के स्थान, या निष्पादन के स्थान या भुगतान के स्थान पर ध्यान दिए बिना, अनुबंध उस स्थान पर किया गया माना जाएगा जहां से निर्णय पत्र (LoA, या LoA के अभाव में अनुबंध करार) जारी किया गया है।  अनुबंध से संबंधित या उससे उत्पन्न किसी विवाद पर निर्णय देने का क्षेत्राधिकार केवल उस स्थान के न्यायालयों को ही होगा।

**17. विकल्प मात्रा खंड**

यदि अनुबंध में स्पष्ट रूप से कहा गया है, तो प्राधिकरण उचित नोटिस और उसके अनुरूप डिलीवरी अवधि देकर, लेकिन ऐसा करने के किसी दायित्व के बिना, अनुबंध की अंतिम डिलीवरी

तिथि तक किसी भी समय, उसमें निर्दिष्ट प्रतिशत (या निर्दिष्ट नहीं होने पर 25%) तक आदेशित मात्रा को बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित रखेगा, भले ही शुरू में आदेशित पूरी मात्रा की आपूर्ति डिलीवरी अवधि की अंतिम तिथि से पहले ही कर दी गई हो।

**18. अप्रत्याशित घटना**

18.1. कोई भी अप्रत्याशित घटना घटित होने पर, जो किसी भी पक्ष के नियंत्रण से परे हो, और जो अनुबंध की अवधि के दौरान सेवाओं की डिलीवरी में सीधे हस्तक्षेप करती हो, जैसे युद्ध, शत्रुताएं, जनता के दुश्मनों के कृत्य, नागरिक उपद्रव, तोड़फोड़, आग लगना, बाढ़, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल, तालाबंदी, या दैवीय कृत्य, इनसे प्रभावित पक्ष दूसरे पक्ष को इनके शुरू होने से एक सप्ताह के भीतर, उचित सबूत के साथ इसकी लिखित सूचना देगा। जब तक प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में कोई अन्य निर्देश न दिया गया हो, ठेकेदार अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन जहां तक यथासंभव व्यावहारिक हो जारी रखेगा तथा अप्रत्याशित घटना के कारण बाधित न होने वाले निष्पादन के लिए सभी उचित वैकल्पिक साधनों की तलाश करेगा। यदि ऊपर वर्णन की गई अप्रत्याशित स्थिति किसी समय 90 दिन या उससे अधिक समय तक जारी रहती है, तो उस अप्रत्याशित स्थिति के प्रारंभ होने के 90 दिन पूरे हो जाने पर किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष को 14 दिन का लिखित नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प होगा। ऐसी समापन के मामले में, किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे के विरुद्ध किसी क्षतिपूर्ति का दावा नहीं किया जाएगा, सिवाय उन क्षतिपूर्तियों के जो इस अनुबंध के किसी अन्य खंड के अंतर्गत इस समापन से पहले हुई हों।

18.2. कोई भी पक्ष, दूसरे पक्ष से, किसी अप्रत्याशित घटना के परिणाम स्वरुप अनुबंध के तहत उसके दायित्वों को पूरा करने में हुई देरी और/या विफलता के लिए किसी भी तरह के उपचार या क्षतिपूर्ति की मांग नहीं करेगा।

**19. संपर्क बिंदु**

संभावित बोलीदाता निविदा के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए सभी कार्य दिवसों के दौरान (सोमवार से शुक्रवार, 09.00 बजे से 17.30 बजे तक) निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं।

| | |
|---|---|
| 1: | श्री. एम मणिकंधन, उप निदेशक, स्पाइसेस बोर्ड, कोच्चि-25, केरल, दूरभाष: 8104854776, 9843449957, 91-484-2333610. एक्सटेंशन 235 /manikandhan.m@nic.in |
| 2: | श्री विजयराज, निर्यात संवर्धन अधिकारी। स्पाइसेस बोर्ड, कोच्चि-25, केरल, दूरभाष: 9495045867/vijayaraj.r@nic.in |

**निदेशक (विपणन)**

**अनुलग्नक I - चेकलिस्ट**

कृपया सुनिश्चित करें कि आपके प्रस्ताव में निम्नलिखित दस्तावेज़ शामिल हों:

| **क्रम सं.** | **दस्तावेज़** | **जैसा लागू हो टिक करें** |
|---|---|---|
| 01. | GST पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति | संलग्न / संलग्न नहीं |
| 02 | PAN कार्ड की प्रति | संलग्न / संलग्न नहीं |
| 03 | TIN की प्रति | संलग्न / संलग्न नहीं |
| 04 | (प्रमाण संलग्न करें मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन (MOA), आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AOA) /साझेदारी विलेख साझेदारी विवरण का पंजीकरण का प्रमाण के साथ/ मालिक द्वारा पंजीकरण विवरण के साथ शपथ पत्र जैसा भी मामला हो) नवीनतम संशोधनों/संकल्पों के साथ जो भी लागू हो, संलग्न करें | संलग्न / संलग्न नहीं |
| 05 | पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में प्रत्येक वर्ष 02.00 करोड़ रुपये या उससे अधिक का औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार। तकनीकी बोली के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट/कंपनी सचिव द्वारा विधिवत सत्यापित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बोलीदाताओं को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दाखिल आयकर रिटर्न की नोटरी सत्यापित प्रति, लेखापरीक्षित खातों, बैलेंस शीट आदि की नोटरी सत्यापित प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। | संलग्न / संलग्न नहीं |
| 06 | ISO 9001:2015 की प्रतिलिपि | संलग्न / संलग्न नहीं |
| 07 | ISO/IEC 17025:2017 प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपि | संलग्न / संलग्न नहीं |
| 08 | बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट जो इस बोली के जारी होने की तारीख को 3 महीने से अधिक पुराना न हो | संलग्न / संलग्न नहीं |
| 09 | सैम्पलिंग और स्टफिंग की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम कर्मियों का विवरण इस दस्तावेज़ के माध्यम से दिया गया है (नियुक्ति पत्र की प्रति) | संलग्न / संलग्न नहीं |
| 10 | खाद्य उत्पादों, कृषि या संबद्ध क्षेत्रों और/या खाद्य परीक्षण या परीक्षण प्रयोगशालाओं और/या अनुसंधान एवं विकास संगठन में इसी प्रकार के कार्य में परियोजना अनुभव और इस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष की अवधि से कार्यरत होना चाहिए (कार्य आदेश, कार्य संतुष्टि पत्र/प्रमाण पत्र) | संलग्न / संलग्न नहीं |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | बोली सुरक्षा घोषणा (अनुलग्नक I) | संलग्न / संलग्न नहीं |
| 12 | बोली फॉर्म फॉर्म अनुलग्नक II के अनुसार | संलग्न / संलग्न नहीं |
| 13 | अनुलग्नक III - बोली फॉर्म (लेटर हेड में) | संलग्न / संलग्न नहीं |
| 14 | तकनीकी बोली फॉर्म अनुलग्नक IV के अनुसार अनुलग्नक IVA, IVB, IVC के साथ | संलग्न / संलग्न नहीं |
| 15 | अनुलग्नक V वित्तीय बोली | संलग्न / संलग्न नहीं |

**अनुलग्नक II**

**बोली-सुरक्षा घोषणा**

सेवामें,

निदेशक (विपणन)
स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन,
एन.एच. बाई पास, पालारिवट्टम,
कोच्ची - 682 025, केरल

संदर्भ:

स्पाइसेस बोर्ड की कस्टम बोली नोटिस संख्या ______________________________.

हमारी बोली संख्या ______________________________ दिनांक_____________।

मैं/हम, ................................ अपरिवर्तनीय रूप से निम्नलिखित घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं:

मैं समझता हूँ/हम समझते हैं कि कस्टम बोली/बोली शर्तों के खंड ......... के अनुसार, बोलियों को बयाना राशि की बजाय बोली सुरक्षा घोषणा द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

मैं/हम स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम आपके साथ किसी भी अनुबंध के लिए बोली लगाने से अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं, जो कि अयोग्य घोषित होने की तारीख से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए हो सकता है, जैसा कि आपके द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है (स्पाइसेस बोर्ड के क्षतिपूर्ति का दावा करने या कोई अन्य कानूनी सहारा लेने के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना) अगर,

1) मैं/हम बोली की शर्तों के तहत निर्धारित किसी भी दायित्व का उल्लंघन करता हूँ/करती हूँ/करते हैं,
2) मैंने/हमने मेरी/हमारी बोली को वापस ले लिया है या बोली के फॉर्म में निर्दिष्ट बोली वैधता अवधि या विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान उसे एकतरफा तरीके से परिवर्तित/संशोधित/सम्पादित कर दिया है।
3) स्पाइसेस बोर्ड द्वारा हमारी बोली को स्वीकृति दिए जाने पर, मैं/हम नियमों और शर्तों के अनुसार और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निर्धारित सुरक्षा जमा प्रदान करने में विफल रहता/रहती हूँ या अनुबंध को निष्पादित करने में विफल रहता/रहती हूँ या कार्य के निष्पादन को शुरू करने में विफल रहता/रहती हूँ।

**हस्ताक्षर:**

बोली-सुरक्षा घोषणा फॉर्म पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत व्यक्ति का नाम और पदनाम:

बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत: _____________________ (बोली लगाने वाले का पूरा नाम) के लिए और उसकी ओर से

दिनांक__________ दिन, ________ महीना, __________ वर्ष।

(ध्यान दें: एक संयुक्त उद्यम के मामले में, बोली सुरक्षा घोषणा बोली जमा करने वाले संयुक्त उद्यम के सभी भागीदारों के नाम से होनी चाहिए)।

**अनुलग्नक III - बोली फॉर्म (लेटर हेड में)**

सन्दर्भ क्रमांक: ......................................................

निदेशक
स्पाइसेस बोर्ड इंडिया,
कोचीन

महोदय,
दिनांक :

मैं/हम एतद्द्वारा मसालों और मसाला उत्पादों की खेप के प्रीशिपमेंट सैंपलिंग और कंटेनर स्टफिंग के पर्यवेक्षण के लिए दर अनुबंध के लिए अपनी निविदा प्रस्तुत करते हैं।

मैंने/हमने बोली सुरक्षा घोषणा संलग्न की है।

हम एतद्द्वारा इस संबंध में स्पाइसेस बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी नियमों व शर्तों से सहमति देते हैं, जिसमें डिलीवरी, जुर्माना आदि शामिल हैं। प्रत्येक समूह के लिए कोटेशन अलग-अलग कवर और शीट में प्रस्तुत किए जा रहे हैं और उन पर उनके अंकित मूल्य के आधार पर विचार किया जाएगा।

मैंने/हमने नोट कर लिया है कि अगर अधिलेखित प्रविष्टियों को विधिवत काटकर दोबारा नहीं लिखा और उनके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किया गया होगा, तो उनको हटा दिया जाएगा। कस्टम बोलियां विधिवत् हस्ताक्षरित होनी चाहिए (अंगूठे का निशान नहीं लगाया जाना चाहिए)।

मैं/हम स्वीकृति पत्र जारी होने के 15 (पंद्रह दिन) के भीतर अनुबंध/करार पर हस्ताक्षर करने तथा निर्देशानुसार तुरंत कार्य शुरू करने का वचन देते हैं, अन्यथा हमारी/मेरी अग्रिम जमा राशि जब्त कर ली जाएगी तथा हमारा/मेरा नाम स्पाइसेस बोर्ड में सेवा प्रदाताओं/आपूर्तिकर्ताओं की सूची से हटा दिया जाएगा।

मैं/हम बोली खोलने के लिए निर्धारित तिथि के बाद 90 (संख्या) दिनों की अवधि या किसी भी आगे की अवधि तक के लिए जबतक के लिए बोली की वैधता बढ़ाई जाती है, और जो उस अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय स्वीकार की जा सकती है, इस बोली का पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं और यह हमारे लिए बाध्यकारी रहेगा।

मैं/हम सहमत हैं कि जब तक औपचारिक अनुबंध तैयार और निष्पादित नहीं हो जाता, तब तक यह बोली, आपकी लिखित स्वीकृति और निर्णय की आपकी अधिसूचना के साथ, हमारे बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगी।

मैं/हम समझते हैं कि आप न्यूनतम या किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

मैंने/हमने कस्टम बोली दस्तावेज प्रस्तुत करने से पहले सभी नियमों व शर्तों को पढ़ लिया है तथा उन्हें स्वीकार करते हैं।

आपका आभारी

बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

**अनुलग्नक IV**

**अनुलग्नक IV - तकनीकी बोली प्रारूप**

| | | |
|---|---|---|
| | क्षेत्र जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गई है | A / B |
| 1 | संगठन का नाम और पता<br>टेलीफ़ोन नंबर।<br>ई-मेल<br>संपर्क व्यक्ति का नाम<br>(पंजीकृत कार्यालय) | |
| | निगमन/ भारत में पंजीकरण का वर्ष: | |
| | भारत में परिचालन शुरू होने का वर्ष | |
| | TIN नं.: | |
| | PAN नं.: | |
| | GST रजिस्ट्रेशन नंबर | |
| | फर्म की कानूनी स्थिति कंपनी / फर्म / प्रोप्राइटरशिप / अन्य | (प्रमाण संलग्न करें मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन (MOA), आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AOA) /साझेदारी विलेख साझेदारी विवरण का पंजीकरण का प्रमाण |

| | | |
|---|---|---|
| | | के साथ/ मालिक द्वारा पंजीकरण विवरण के साथ शपथ पत्र जैसा भी मामला हो) नवीनतम संशोधनों/संकल्पों के साथ जो भी लागू हो, संलग्न करें |
| 2 | शाखा कार्यालय का नाम व पता<br>टेलीफ़ोन नंबर।<br>ई-मेल<br>संपर्क व्यक्ति का नाम | |
| 3 | | |

3. स्वामित्व

| क्रम सं. | संगठन में हिस्सेदारी रखने वाले व्यक्तियों का नाम (भारत में निगमित कंपनी के मामले में निदेशकों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी) | हितधारकों की राष्ट्रीयता | हिस्सेदारी के हस्तांतरण पर प्रतिबंधों का विवरण, यदि कोई हो |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

यदि संगठन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है तो सरकारी हिस्सेदारी का प्रतिशत बताएं।

4. पिछले 3 वर्षों (2021-22; 2022-23; 2023-24) का वार्षिक कारोबार

| **क्रम सं.** | **वित्तीय वर्ष** | **कुल वार्षिक कारोबार** |
|---|---|---|
| (i) | 2021-22 | |
| (ii) | 2022-23 | |
| (iii) | 2023-24 | |
| | | |

कृपया चार्टर्ड अकाउंटेंट/सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत ऑडिट की गई इन तीन वर्षों के दौरान की बैलेंस-शीट या आय-व्यय और परिसंपत्ति-देनदारियों की स्थिति संलग्न करें।

5. इस परियोजना से जुड़े केंद्र/इकाई का विवरण

केंद्र/इकाई का नाम और पता:

6. महत्वपूर्ण कार्यालयों के पते

| पता 1 | पता 2 | पता 3 |
|---|---|---|
| | | |
| टेलीफोन : | | |
| पर्यवेक्षकों की संख्या | | |
| सर्वेक्षकों की संख्या | | |
| | | |

7. बोलीदाता की ओर से इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के प्राधिकरण का विवरण।

CEO द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र जिसमें व्यक्ति को दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया हो।

अधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम एवं पता।

| | | |
|---|---|---|
| 8 | क्या गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला है | यदि हां, तो प्रयोगशाला में विश्लेषण किए जा रहे पैरामीटर का ब्यौरा दें |
| 9 | क्या गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला मान्यता प्राप्त है, और यदि हां, तो प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि | |
| 10 | क्या एजेंसी बिंदु 2 के अंतर्गत दी गई प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करती है। | यदि हाँ, तो प्रमाणपत्र और मान्यता का दायरा अपलोड किया जाएगा |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | पर्यवेक्षकों की संख्या (प्रमाण के रूप में नियुक्ति आदेश की प्रति संलग्न करें) | |
| 12 | प्रत्येक केंद्र में योग्य सर्वेक्षकों की संख्या (नियुक्ति आदेश / ईपीएफ विवरण की प्रमाण प्रति संलग्न करें) | |
| 13 | फील्ड कर्मचारियों की योग्यता और फील्ड में उनका सेवा अनुभव (रिज्यूम एवं नियुक्ति आदेश) | |
| 11 | बुनियादी ढांचे का विवरण जैसे आईटी उपकरण, क्षेत्रीय कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाने वाले परिवहन के साधन आदि (स्थान-वार) | |
| 12 | सैम्पलिंग कार्य में अनुभव<br>a)EU सैंपलिंग EC No. 401/2006 और आयोग निर्देश 2002/63/EC<br>b) ISO 948:1980<br>c) USFDA BAM चैप्टर 1 | |
| 12 | सर्वेक्षक लाइसेंस का विवरण (अगर उपलब्ध हो) | यदि हाँ, तो लाइसेंस अपलोड किया जाएगा |
| 13 | सर्वेक्षणकर्ताओं के लिए ली गई बीमा कवरेज का प्रकार | बीमा पॉलिसी अपलोड की जाएगी |
| | *बोर्ड उन बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो सैम्पलिंग की निर्दिष्ट विधि में फर्म के अनुभव को साबित करने वाले दस्तावेजों से समर्थित नहीं हैं।* | |

(हस्ताक्षर)........................

(पद नाम): .........................

................................................ की ओर से और उनके लिए बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत् अधिकृत

**अनुलग्नक IV A**

पहले पूरा किये गये समान कार्य का विवरण।

प्रदर्शन विवरण के लिए प्रोफ़ॉर्मा

खाद्य परीक्षण या परीक्षण प्रयोगशालाओं और/या अनुसंधान एवं विकास संगठन या इसी प्रकार की परियोजना के क्षेत्र में सैम्पलिंग एवं स्टफिंग से संबंधित पिछले 03 वर्ष या उससे अधिक समय के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं का सारांश प्रोफाइल

| क्रमांक | नाम, संगठन का पता, टेली नम्बर और फैक्स नम्बर खाद्य परीक्षण या परीक्षण प्रयोगशालाओं और/या अनुसंधान एवं विकास संगठन या इसी प्रकार की परियोजना के क्षेत्र में सैम्पलिंग एवं स्टफिंग के लिए कार्यान्वयन किया गया है। संगठन के संपर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम और संपर्क नंबर भी बताएं | अनुबंध का विवरण नाम एव मूल्य/(लाखों में) | क्रियान्वयन की अवधि | निर्धारित समय से विलम्ब यदि कोई हो (कारण बताएँ) | मुकदमा/मध्यस्थता लंबित/प्रगति पर | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

बोलीदाता को इस सूची के अनुलग्नक के रूप में खाद्य परीक्षण या परीक्षण प्रयोगशालाओं और/या अनुसंधान एवं विकास या इसी प्रकार की परियोजना के क्षेत्र में सैम्पलिंग और स्टफिंग का पूरा विवरण और प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करना होगा।

(हस्ताक्षर)......................

(पद नाम): .......................

............................................ की ओर से और उनके लिए बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत् अधिकृत

**अनुलग्नक IV B**

अनुलग्नक **IV B** : ग्राहकों से प्राप्त संतोषजनक प्रदर्शन रिपोर्ट की सूची

प्रदर्शन विवरण के लिए प्रोफ़ॉर्मा

(ग्राहकों से प्राप्त संतोषजनक निष्पादन प्रमाणपत्र की सूची। बोलीदाता को खाद्य परीक्षण या परीक्षण प्रयोगशालाओं और/या अनुसंधान एवं विकास संगठन या इसी प्रकार की परियोजना के क्षेत्र में सैम्पलिंग और स्टफिंग के पूर्ण विवरण और प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।)

| क्रमांक | खाद्य परीक्षण या परीक्षण प्रयोगशालाओं और/या अनुसंधान एवं विकास या इसी प्रकार की परियोजना के क्षेत्र में सैम्पलिंग और स्टफिंग निष्पादित करने वाले संगठन का नाम, पता, टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर। संगठन के संपर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम और संपर्क नंबर भी बताएं | अनुबंध का विवरण नाम एव मूल्य/ (लाखों में) | अनुबंध का मूल्य (लाखों में) | क्रियान्वयन की अवधि | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

*नोट: इस सूची के अनुलग्नक के रूप में उन संगठनों से संतोषजनक सेवा प्रमाणपत्र संलग्न करें जिनके लिए समान परियोजनाएं सफलतापूर्वक निष्पादित की गई हैं।*

(हस्ताक्षर)......................

(पद नाम): .......................

............................................... की ओर से और उनके लिए बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत् अधिकृत

**अनुलग्नक IV C**

अनुलग्नक **IV C** : वचन पत्र (10 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पर विधिवत नोटरीकृत)

**वचन पत्र**

1. मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार सत्य है। मुझे/हमें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि स्पाइसेस बोर्ड इस दस्तावेज में दी गई किसी भी या सभी सूचनाओं को, यदि आवश्यक हो, संबंधित प्राधिकारियों से सत्यापित कराए।

2. मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने कस्टम बोली दस्तावेज़ में दर्शाई गई सभी शर्तों और नियमों को समझ लिया है तथा उन्हें पूर्णतः स्वीकार करते हैं।

3. मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि मेरी/हमारी फर्म/कंपनी/संगठन को किसी भी सरकारी विभाग/पीएसयू द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंट के माध्यम से भ्रष्ट आचरण, धोखाधड़ी, बलपूर्वक आचरण, अवांछनीय आचरण या प्रतिबंधात्मक आचरण में लिप्त होने के कारण काली सूची में नहीं डाला गया है/प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

4. मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि फर्म या उसके स्वामी/निदेशक/प्राधिकृत व्यक्ति ने वैधानिक बकाया राशि के भुगतान में चूक नहीं की है, तथा ईपीएफ/ईएसआई/सेवा कर/आयकर द्वारा चूककर्ता के रूप में सूचीबद्ध नहीं हैं।

(हस्ताक्षर)........................

(पद नाम): .........................

................................................ की ओर से और उनके लिए बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत् अधिकृत

**अनुलग्नक V**

**अनुलग्नक V वित्तीय बोली**

निविदा सं.

शीर्षक: मसालों और मसाला उत्पादों की खेप के प्री-शिपमेंट सैंपलिंग और कंटेनर स्टफिंग के पर्यवेक्षण के लिए दर अनुबंध

वेंडर का नाम और पता:

उद्धृत लागत:

**क्षेत्र A**

| **क्रम सं** | **विवरण** | **प्रति नमूना लागत (भारतीय रुपये में)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **<100किमी** | **100 - 400किमी** | **>400किमी** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| A | सैंपलिंग (रु.) GST सहित | | | |
| B | पहली स्टफिंग (रु.) GST सहित | | | |
| C | SDC नमूना दर GST सहित | | | |
| | | | | |

**क्षेत्र B**

| **क्रम सं** | **विवरण** | **प्रति नमूना लागत (भारतीय रुपये में)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **<100किमी** | **100 - 400किमी** | **>400किमी** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| A | सैंपलिंग (रु.) GST सहित | | | |
| B | स्टफिंग (रु.) GST सहित | | | |
| C | SDC नमूना दर GST सहित | | | |
| | | | | |

**क्षेत्र C**

| क्रम सं | विवरण | प्रति नमूना लागत (भारतीय रुपये में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | <100किमी | 100 - 400किमी | >400किमी |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A | सैंपलिंग (रु.) GST सहित | | | |
| C | पहली स्टफिंग (रु.) GST सहित | | | |
| E | SDC नमूना दर GST सहित | | | |
| | | | | |

Commented [CHENNAI1]: Please check: Maintained as per SOURCE.

प्रत्येक क्षेत्र के लिए A3 श्रेणी में उद्धृत दर के लिए अलग L1 निर्धारित किया जाएगा

स्पाइसेस बोर्ड इस कस्टम बोली के अंतर्गत किसी भी बोली को पूरा या आंशिक रूप से स्वीकार करने, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

चयनित एजेंसियों/फर्म को स्पाइसेस बोर्ड के साथ एक अनुबंध करना होगा जिसमें वितरण, सेवा स्तर, भुगतान अवधि शामिल होगी।